



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-54 / 2018
दिनांक : 06.12.2018

बैठक सूचना

विदित हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच त्रिपक्षीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रेषित किया गया था। इस संबंध में पुनः उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के समक्ष विश्वविद्यालयों के अकादमिक स्तर को और सुधारने के लिए विश्वविद्यालय की आगामी छह महीनों की कार्ययोजना क्या रहेगी? इस विषय में एक प्रस्तुति शीघ्र ही दी जानी है। इसी संबंध में दिनांक 07.12.2018 (शुक्रवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में भाषा विद्यापीठ में सायं 04.30 बजे एक बैठक आयोजित की गई है।

इस बैठक में कार्य-मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए आगामी छह माह की कार्ययोजना क्या रहेगी इस पर चर्चा की जायेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग की आगामी छह महीनों की कार्य-योजना हेतु सुझावों के साथ उक्त बैठक में सम्मिलित होने का कष्ट करें।


(कुलसचिव)

प्रति,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी (ईमेल द्वारा)
2. अकादमिक संयोजक (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि,

1. मा. कुलपति महोदय
2. मा. प्रतिकुलपति महोदय
3. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय
4. निजी सचिव, प्रतिकुलपति कार्यालय
5. विभागाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ, भाषा विद्यापीठ सभागार में आवश्यक व्यवस्था के लिए कार्यालय को निर्देशित करने हेतु।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली